<u>समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,</u>

रिट याचिका क्रमांक 610 / 2001

याचिकाकर्ता : बीगन राम, पिता श्री सोमर साय
व्यवसाय पंचायत सचिव,
निवासी ग्राम कटकोना, तहसील अंबिकापुर,
जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा पंचायत सचिव, सचिवालय, डी.के. भवन, रायपुर
2. अतिरिक्त कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
3. अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा
4. सरपंच, ग्राम पंचायत कटकोना, तहसील अंबिकापुर
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनपुर, तहसील अंबिकापुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहता है कि:-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : न्यायमूर्ति – सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका संख्या : 610/2001

बीगन राम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28 सितम्बर, 2005 को आदेश हेतु नियत किया जावे ।

सही

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

एकल पीठ : न्यायमूर्ति – सतीश के. अग्निहोत्री

<u>रिट याचिका क्रमांक : 610/2001</u>

बीगन राम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

डॉ. शैलेश आहूजा, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री पंकज श्रीवास्तव, राज्य छत्तीसगढ़ / उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 3 एवं 5 की ओर से पैनल अधिवक्ता।

सुश्री मधु मोदी, उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(**28 सितम्बर, 2005 को पारित**)

याचिकाकर्ता को 09.09.1999 को ग्राम पंचायत कटकोना में पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 27.02.2000 को कारण बताओ नोटिस (परिशिष्ट आर–3) जारी किया गया जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जीवन धारा, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना और श्रमिकों की मजदूरी की राशि के वितरण में वित्तीय

अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने उन्हें प्रदान किए गए नोटिस प्राप्ति की अभिस्वीकृति देने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात, पंचायत एवं सामाजिक शिक्षा संगटक, विकासखंड लखनपुर द्वारा जांच की गई तथा जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.06.2000 (परिशिष्ट आर–5) के माध्यम से दिनांक 30.05.2000 को याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति उपरांत, प्रस्तुत की गई।

2.याचिकाकर्ता ने सरपंच, ग्राम पंचायत कटकोना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2000(परिशिष्ट पी–3) के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष अपील दायर की। अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2000 (परिशिष्ट पी–2) में, सेवाओं से याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के पश्चात प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत, यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम पंचायत का दिनांक 18.05.2000 का संकल्प,जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटाया गया था, वैध एवं विधिसम्मत था। तदनुसार, याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता, इससे व्यथित होकर, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 91 के अंतर्गत,अपर कलेक्टर, सरगुजा (अंबिकापुर) के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर किया, अपर कलेक्टर, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा दिनांक 16/18.03.2001 को पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/ब–121/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2000 एवं निष्कर्षों की पुष्टि की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. डॉ. शैलेश आहूजा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश पारित किए जाने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई थी। यह भी अस्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा बिना किसी सूचना अथवा जानकारी के जांच की गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प के अनुसार पारित आदेश, जो बाद में अपील में

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा पुनरीक्षण में अपर कलेक्टर द्वारा पुष्टि की गई, विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 (जिसे आगे "नियम, 1999" कहा गया है) के नियम 7 का पालन नहीं किया गया था। नियम 7 स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करता है कि कोई भी गंभीर दंड आरोपित करने का आदेश, नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार औपचारिक जांच के बिना पारित नहीं किया जाएगा। नियम 7 इस प्रकार है:

"7. प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया

(1) पंचायत सेवा के किसी सदस्य पर नियम 5 के खंड (iv) से (via) में विनिर्दिष्ट किसी भी दंड को आरोपित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि आगे निर्दिष्ट तरीके से, यथासंभव, एक औपचारिक जांच न की गई हो।

(2) जब औपचारिक जांच का आदेश पारित किया जाता है, तब अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के आधार पर निश्चित आरोप निर्धारित करेगा और ऐसे आरोपों को, आरोपों के कथन सहित, पंचायत सेवा के सदस्य को संप्रेषित करेगा तथा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्दिष्ट समयावधि में एक लिखित उत्तर प्रस्तुत करे और यह भी स्पष्ट करे कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

(3) जिसके विरुद्ध जांच की जानी है, उसे अपने बचाव की तैयारी के उद्देश्य से, ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनसे उद्धरण(सार) निकालने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें वह निर्दिष्ट करे:परंतु यह अनुमति देने से इंकार की जा सकती है यदि जांच अधिकारी लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए यह मंतव्य दे कि ऐसे अभिलेख संबंधित नहीं हैं अथवा जनहित में उन तक पहुँच प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) यदि लिखित कथन प्राप्त हो गया हो अथवा यदि निर्दिष्ट समय में ऐसा कथन प्राप्त नहीं होता, तब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं उन आरोपों की जांच कर सकता है जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, या जांच करने हेतु एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है तथा अपनी रिपोर्ट और, यदि उचित समझे, अपनी संस्तुति सहित सभी जांच दस्तावेज उस अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है।

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों का समर्थन करने हेतु जांच अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। पंचायत सेवा का सदस्य जाँच अधिकारी द्वारा अनुमोदित अपने मामले को किसी अन्य पंचायत सेवक या राज्य शासन के सेवक की सहायता से प्रस्तुत कर सकता है, जिसे जांच अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, परंतु वह किसी विधिवेत्ता (legal practitioner) को नियुक्त नहीं कर सकता, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामांकित व्यक्ति विधिवेत्ता न हो या मामला विशेष होने के कारण अनुशासनिक प्राधिकारी अनुमति न दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) यदि पंचायत सेवा का कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वह ऐसा चाहता है या अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा निर्देश देता है, तो मौखिक जांच की जाएगी। ऐसी जांच में उन आरोपों पर साक्ष्य लिए जाएंगे जिन्हें अस्वीकार किया गया है और आरोपित व्यक्ति को साक्षियों से प्रति–परीक्षण करने, स्वयं साक्ष्य देने, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा इच्छित साक्षियों को बुलाने का अधिकार होगा: **परंतु** जांच अधिकारी लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों सहित किसी साक्षी को बुलाने से इनकार कर सकता है।

(7) जांच की समाप्ति पर, जांच अधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को कारणों सहित दर्ज करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(8) आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही में निम्नलिखित पर्याप्त अभिलेख होंगे:

(i) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिरोपित आरोप एवं आरोपों का विवरण,

(ii) बचाव का लिखित बयान, यदि कोई हो,

(iii) जांच के दौरान लिया गया मौखिक साक्ष्य,

(iv) जांच के दौरान विचाराधीन दस्तावेजी साक्ष्य,

(v) जाँच के सम्बन्ध में जांच अधिकारी अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश (यदि कोई हो),

(vi) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्षों और उसके कारणों को बताने वाली रिपोर्ट।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) यदि जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी से भिन्न है, तो वह उपर्युक्त खंड (8) में उल्लिखित कार्यवाही के अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी को बिना दंड की संस्तुति किए प्रस्तुत करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक आरोप पर निष्कर्षों को तथा जांच के अभिलेखों (यदि, कार्यवाही है) को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा, और यदि वह यह राय बनाता है कि नियम 5 के खंड (iv) से (vii) के अंतर्गत कोई दंड आरोपित किया जाना चाहिए, तो वह आरोपित व्यक्ति को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति, और जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं है, वहाँ अपने निष्कर्षों का विवरण तथा यदि कोई असहमति हो तो संक्षिप्त कारण सहित प्रदान करेगा।

(10) अनुशासनिक प्राधिकारी, कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में आरोपित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रतिवेदन (representation) पर विचार करेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या कोई दंड आरोपित किया जाना चाहिए, तथा प्रकरण में उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(11) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को पंचायत सेवा के सदस्य को संसूचित किया जाएगा, और यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं है, तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी तथा, जहां लागू हो, जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के संक्षिप्त कारणों सहित अपने निष्कर्षों का विवरण भी आरोपित व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, जब तक कि वे पूर्व में ही आरोपित व्यक्ति को प्रदान न किए गए हों।"

4. श्री पंकज श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 3 एवं 5 के लिए विद्वान पैनल अधिवक्ता और सुश्री मधु मोदी, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने, इसके विपरीत, यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.02.2000 (परिशिष्ट R–3) को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस सर्वर गुड़ी कोटवार द्वारा कलेक्टर को दिए गए एक हलफनामे के अनुसार, याचिकाकर्ता ने नोटिस की प्रति प्राप्त करने के पश्चात उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति देने से इंकार कर दिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर, नोटिस की एक प्रति प्राप्त करने के बाद, उसकी प्राप्ति की पुष्टि नहीं की। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता ने जांच में भाग नहीं लिया। याचिकाकर्ता एवं तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। सरपंच को पद से हटा दिया गया और याचिकाकर्ता को भी ग्राम पंचायत के संकल्प द्वारा सेवा से हटा दिया गया, यद्यपि याचिकाकर्ता ने नोटिस स्वीकार करने से मना कर दिया था। उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में **सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय "इंद्र भानु गौर बनाम प्रबंध समिति, एम.एम. डिग्री कॉलेज एवं अन्य"** [(2004) 1 SCC 281] का अवलंब लिया गया है।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, मेरी यह राय है कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से एक प्रत्यक्ष त्रुटि विद्यमान है। उत्तरवादीगण का यह दावा कि दिनांक 27.02.2000 (परिशिष्ट R–3) को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और गुड़ी कोटवार द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि याचिकाकर्ता ने उसकी प्राप्ति की पुष्टि करने से मना कर दिया, सही प्रतीत नहीं होता। कथित कारण बताओ नोटिस ग्राम पंचायत कटकोना के सरपंच द्वारा दिनांक 27.02.2000 को हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि श्री बंधु दास, गुड़ी कोटवार, ग्राम कटकोना के दिनांक 21.11.2000 के शपथ पत्र के अनुसार यह 24.02.2000 को ही तामील कर दिया गया। यह संभव नहीं है कि नोटिस को सरपंच द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन दिन पूर्व ही तामील कर दिया जाए। अतः उत्तरदाताओं का यह दावा कि याचिकाकर्ता ने नोटिस की दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर देने से मना किया, त्रुटिपूर्ण एवं अस्वीकार्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. आगे, याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आक्षेपित संकल्प जाँच पूरी होने के पहले, दिनांक 18.05.2000 को पारित किया गया जबकि जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2000 को प्रस्तुत की गई थी। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के दिनांक 18.05.2000 के संकल्प के अनुपालन में सेवा से हटाने का आदेश भी दिनांक 30.05.2000 को पारित कर दिया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वित्तीय अनियमितताओं एवं पंचायत निधियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों की विधिवत जांच कर हटाने का आदेश पारित किया गया था । जांच रिपोर्ट, जो याचिकाकर्ता को हटाने के पश्चात प्रस्तुत की गई, में निहित आरोपों की जांच किए बिना और मेरी राय है कि नियम 7 (पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम, 1999) के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया, जबकि प्रमुख दंड आरोपित करने से पूर्व यह एक आवश्यक शर्त है और यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता पंचायत सेवा का सदस्य था।

7. संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों की श्रृंखलाओं में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि कार्यवाही में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष त्रुटि है, विधिक प्रावधानों की पूर्णतः उपेक्षा हुई है, अथवा किसी गंभीर अन्याय या न्याय के घोर उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो

उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। वर्तमान प्रकरण में, राजस्व प्राधिकरण / न्यायाधिकरणों द्वारा नियम, 1999 के नियम 7 के वैधानिक प्रावधानों की पूर्णतः अनदेखी की गई है और अभिलेख में तथ्यों की स्पष्ट त्रुटियाँ हैं, जिनके लिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृत रूप से दिनांक 27.02.2000 का कारण बताओ नोटिस (परिशिष्ट R–3) दिनांक 24.02.2000 को गुड़ी कोटवार के माध्यम से तामील नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह तीन दिन पूर्व की तामील है। नियम 7 के अंतर्गत परिकल्पित नोटिस याचिकाकर्ता को जारी नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने (दिनांक 29.06.2000 – परिशिष्ट R–5) से पूर्व ही ग्राम पंचायत ने याचिकाकर्ता को दिनांक 18.05.2000 को सेवा से हटाने का संकल्प पारित कर दिया और उसी के अनुपालन में सेवा से हटाने का आदेश दिनांक 30.05.2000 (परिशिष्ट P–3) को पारित किया गया। उपरोक्त निष्कर्षों के दृष्टिगत, परिणामी लाभों के साथ याचिका स्वीकार कि जाती है। दिनांक 18.05.2000 का संकल्प, उसके अनुसार पारित सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 30.05.2000 (परिशिष्ट P–3), राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/ब–121/99–2000 में दिनांक 07.08.2000 को पारित अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर का आदेश (परिशिष्ट P–2) तथा पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 6/ब–121/2000–2001 में दिनांक 16/18.03.2001 को जिला सरगुजा के अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश (परिशिष्ट P–3) को अपास्त एवं अभिखण्डित किया जाता है। वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**
Translated By Adv. ANURAG TRIPATHI

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur